



Neutral Citation No.-2026:AHC:40422-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2822/2026

खुशी पटेल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशीष श्रीवास्तव, रमाकांत यादव, संतराम निगम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष हेतु दायर की गई है: -

"क) थाना मछली शहर, जिला जौनपुर में बी.एन.एस. की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0003/2026 में निष्पक्ष और उचित विवेचना संपन्न करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ख) प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी संख्या 4 से 9 को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ग) प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को दिनांक 12.01.2026 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर समयबद्ध रूप से शीघ्रता से निर्णय लेने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घ) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो यह माननीय न्यायालय वाद की परिस्थितियों में उचित और यथोचित समझे।

ड) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान वाद में सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान वाद में एफ.आई.आर. दिनांक 02.01.2026 को पंजीकृत की गई है, तथापि पुलिस वाद की निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, जिला जौनपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें अपनी शिकायत को उजागर करते हुए निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना की मांग की जाए और यदि ऐसा आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, जिला जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, जिला जौनपुर/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान वाद में निष्पक्ष, पक्षपात रहित और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

23 फ़रवरी, 2026

ज़फ़र

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)